न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी [illegible] (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक 15.05.2023

निर्णय दिनांक 30.01.2024

[illegible]

[illegible] पुत्र श्री मागू जी जाति खारोल उम्र वयस्क निवासी 252 वार्ड नम्बर 22 [illegible] भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

प्रार्थी

[illegible] लाल खारोल पुत्र श्री मागू लाल खारोल उम्र वयस्क निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

[illegible] लाल खारोल पुत्र श्री भैरू लाल खारोल उम्र वयस्क निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

[illegible] प्रजापत पुत्र श्री गोकुल जी प्रजापत उम्र वयस्क निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

[illegible] पिता गोकुल जी प्रजापत उम्र वयस्क निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

-विपक्षीगण

[illegible]-अधिवक्ता प्रार्थी शंकर लाल नायक

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम -

- निर्णय -

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] बोरड़ा प0स0 गठिलाखेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा [illegible] जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 330 की अभिलिखित आराजियात 828, [illegible] किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खाता संख्या 329 मे आराजी संख्या 822, 823/3, [illegible], 826, 835, 836, 837, 858, 861 कुल किता 09 कुल रकबा 3.7557 हैक्टयर व खाता [illegible] 324 मे आराजी संख्या 821 कुल रकबा 0.0506 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एव [illegible] काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण [illegible] आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। [illegible] प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर [illegible] सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बोरडा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 330 की अभिलिखित आराजियात 828, कुल किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खाता संख्या 329 में आराजी संख्या 822, 823/3, 824, 826, 835, 836, 837, 858, 861 कुल किता 09 कुल रकबा 3.7557 हैक्टयर व खाता संख्या 324 में आराजी संख्या 821 कुल रकबा 0.0506हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा